सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 35/2017

बउनवान

रामभरोस पुत्र मथुरालाल जाति धाकड़ निवासी राजपुरा खालसा तहसील छीपाबड़ौद

बनाम

1. दुलीचन्द पुत्र मथुरालाल जाति धाकड़ निवासी बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद
2. रामनाथीबाई पत्नि मथुरालाल जाति धाकड़ निवासी बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद
3. सुशीलाबाई पुत्री मथुरालाल पत्नि बजरंगलाल जाति धाकड़ निवासी सारोला तहसील खानपुर (झालावाड़)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद
5. भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन वृहद सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिला झालावाड**(रेस्पोडेन्ट)**

अपील विरूद्व इंतकाल नम्बर 380 दिनांक 04.09.98 ग्राम बिलेण्डी एवं इंतकाल क्रमांक 301 दिनांक 04.09.98 तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

उपस्थित :– 1– श्री ओमप्रकाश मेहता ।। अभिभाषक **(अपीलांट)**
2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 19.02.2018

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बिलेण्डी की आराजी खसरा नंबर 637/561 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा का मृतक मथुरा वल्द भैरू जाति धाकड़ के देहान्त के बाद खोला गया फोती नामां. सं. 380 दिनांक 04.09.98 ग्राम बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद एवं इन्तकाल क्रमांक 301 दिनांक 04.09.98 ग्राम मालोनी में पटवारी द्वारा जो सजरा बनाया गया उसमे केवल पुत्र दुलीचन्द पत्नि रामनाथीबाई व पुत्री सुशीलाबाई को बताया गया है जबकि अपीलांट रामभरोस भी मृतक मथुरालाल का सबसे बड़ा पुत्र है जिसको हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया तथा इसी अनुरूप जांच में आई.एल.आर. ने तथा वक्त तस्दीक तहसीलदार छीपाबड़ौद ने भी अपीलांट के नाम का अंकन नहीं किया। इस प्रकार उक्त दोनो इंतकाल विधि अनुरूप नहीं होने तथा अपीलान्ट की सुनवाई के बिना खोले जाकर तस्दीक किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण के पिता व पति मथुरालाल पुत्र भैरूलाल कोम धाकड़ के खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजीयात ग्राम बिलेण्डी में खसरा नंबर 637/561 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, ग्राम मालोनी में खसरा नंबर 380/252 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा एवं ग्राम राजपुरा खालसा में आराजी खसरा नंबर 320 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 436 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 467 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 470 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा में 1/4 हिस्सा अनुसार खोला एवं तस्दीक किया। ग्राम राजपुरा खालसा के नामां. संख्या 508 दिनांक 04.06.98 में मथुरालाल के वारिसान के रूप में सजरे में भी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण का नाम अंकित किया जाकर तस्दीक किया गया है। जबकि ग्राम बिलेण्डी एवं मालोनी के अपीलाधीन नामां. में हल्का पटवारी एवं राजस्व कर्मियों से मिलीभगत करके खोले गये हैं जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

ग्राम बिलेण्डी एवं ग्राम राजपुरा खालसा की आराजीयात परवन वृहत सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण रेस्पोडेन्ट क्रम 5 द्वारा अवाप्त की गई है जिसका मुआवजा भी रेस्पोडेन्टगण के नाम तैयार किया गया है अगर रेस्पोडेन्टगण के नाम संपूर्ण अवाप्त

भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अपील स्वीकार की जाकर ग्राम बिलेण्डी का इंतकाल क्रमांक 380 दिनांक 04.09.98 एवं ग्राम मालोनी का इंतकाल क्रमांक 301 दिनांक 04.09.98 निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह मृतक मथुरालाल के सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः इंतकाल खोलकर तस्दीक करें।

अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 14.07.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3 एवं 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पो. क्रम 4 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्रावली में संलग्न नकल ग्राम बिलेण्डी नामां. सं. 380, ग्राम मालोनी नामां सं. 301 एवं ग्राम राजपुरा नामां. सं. 508 एवं नकल जमाबंदी ग्राम बिलेण्डी संवत 2055 से 2058 खाता संख्या 140 एवं संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 65, ग्राम मालोनी संवत 2052 से 2055 खाता संख्या 103 एवं ग्राम राजपुरा खालसा संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 102 तथा सरपंच ग्राम पंचायत बिलेण्डी द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र का अवलोकन करवाते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु उपरान्त खोले गये अपीलाधीन फोती नामांतरकरण ग्राम बिलेण्डी एवं मालोनी विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को बाद जांच पुनः नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने सर्वप्रथम कथन किया कि अपीलांट को ग्राम बिलेण्डी एवं ग्राम मालोनी के इंतकालों के विरूद्ध पृथक पृथक कार्यवाही करनी चाहिये थी। दोनो इंतकालों को एक ही प्रकरण में चेलेंज किये जाने से कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। तथा दोनो नामान्तरकरणों के विरूद्ध कार्यवाही 19 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की है। अतः खारिज फरमायी जावे। अपीलांट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुई देरी का कोई समुचित कारण नही बता पाया है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हम पेरोकार सरकार के तर्कों से पूर्णतया सहमत हैं। अपीलांट को दो ग्रामों में खोले गये नामान्तरकरणों हेतु अलग अलग कार्यवाही पेश करनी चाहिये थी। तथा अपीलांट अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी का कोई समुचित कारण नही बता पाया है। जिससे अपील प्रस्तुत करने मे हुई 19 वर्ष की देरी को माफ नही किया जा सकता है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से हम यह अपील खारिज करना उचित समझते है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तदनुसार यह अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर, बारां